संख्या- 59/2024/1006/छप्पन-2024-81/2013 टी.सी. 1

प्रेषक,

अभिनव कुमार चौरसिया,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ, दिनांक: 16 अगस्त, 2024

विषयः प्रयागराज आर0सी0एस0 एयरपोर्ट पर सुरक्षा एवं अग्निशमन उपकरणों के किराये का भुगतान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक 90/आर0सी0एस0-2023-एस-3/2019 दिनांक 04 जुलाई, 2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि एम0ओ0यू0 की व्यवस्था के आलोक में, प्रयागराज एयरपोर्ट पर सुरक्षा एवं अग्निशमन की व्यवस्था के निमित्त सुरक्षा एवं अग्निशमन उपकरणों के किराए के मद में हुए व्यय के डिमाण्ड नोट भुगतान हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा प्रेषित किए जाते हैं, जिसमें से अक्टूबर, 2023 तक के बिलों का भुगतान किया जा चुका है। एयरपोर्ट निदेशक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, प्रयागराज द्वारा प्रयागराज एयरपोर्ट से संचालित आर0सी0एस0 वायुसेवा हेतु क्रय व उपयोग किये गये सुरक्षा एवं अग्निशमन उपकरणों के किराये के भुगतान हेतु माह नवम्बर, 2023 से मई, 2024 तक डिमाण्ड नोट प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत हैः-

डिमाण्ड नोट का सन्दर्भ	अवधि	धनराशि रूपये
AAI/NR/RCS/2023-24/08/9938 दिनांक 25.12.2023	01 नवम्बर, 2023 से नवम्बर 30, 2023 तक	5,72,655/-
AAI/NR/RCS/2023-24/09/9957 दिनांक 03.01.2024	01 दिसम्बर, 2023 से दिसम्बर 31, 2023 तक	5,72,655/-
AAI/NR/RCS/2023-24/10/10072 दिनांक 01.02.2024	01 जनवरी, 2024 से जनवरी 31, 2024 तक	5,72,655/-
AAI/NR/RCS/2023-24/11/11132-36 दिनांक 06.03.2024	01 फरवरी, 2024 से फरवरी 29, 2024 तक	5,72,655/-
AAI/NR/RCS/2023-24/12/11213-17 दिनांक 04.04.2024	01 मार्च, 2024 से मार्च 31, 2024 तक	5,72,655/-
AAI/NR/RCS/2024-25/01/4-8 दिनांक 03.05.2024	01 अप्रैल, 2024 से अप्रैल 30, 2024 तक	5,72,655/-
AAI/NR/RCS/2024-25/02/ दिनांक 03.06.2024	01 मई, 2024 से मई 31, 2024 तक	5,72,655/-
	योग	**40,08,585/-**

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उक्त के दृष्टिगत प्रयागराज एयरपोर्ट पर सुरक्षा एवं अग्निशमन उपकरणों के किराये का भुगतान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को किये जाने हेतु रु0 40,08,585/- (रुपया चालीस लाख आठ हजार पांच सौ पच्चासी मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने तथा वित्तीय स्वीकृति निर्गत होने के उपरान्त बजट एलाटमेंट सिस्टम के माध्यम से बजट भी आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत चयनित प्रयागराज एयरपोर्ट पर नवम्बर, 2023 से लेकर मई, 2024 तक भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा एवं अग्निशमन सेवाओं हेतु धनराशि रू0 40,08,585/- (रूपये चालीस लाख आठ हजार पांच सौ पच्चासी मात्र) के भुगतान की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ रू0 40,08,585/- अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं:-

1. निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।
2. निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, नागरिक उड्डयन की होगी।
3. निदेशक, नागरिक उड्डयन यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
4. बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।
5. निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।
6. निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।
7. निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 04 मार्च, 2024 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8. अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

3/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 40,08,585/- (चालीस लाख आठ हज़ार पाँच सौ पच्चासी मात्र) तत्काल आवंटित कर सम्बन्धित को नियमानुसार भुगतान किया जाएगा।

4- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुदान संख्या-38 राजस्व लेखा "लेखाशीर्षक 3053-नागर विमानन-01-हवाई सेवाएं-800-अन्य व्यय-03-उ०प्र० नागर विमानन प्रोत्साहन नीति 2017 तथा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम की मानक मद 42-अन्य व्यय" के नामे डाला जाएगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: ई-7- 71/दस-2024-2025, दिनांक 09 अगस्त, 2024 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव।

संख्या- 59/2024/1006(1)/ छप्पन-2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. उप महालेखाकार/ई0एस0-III, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ।
3. आयुक्त, प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज।
4. अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राजीव गाँधी भवन, सफदरजंग, नई दिल्ली।
5. जिलाधिकारी, प्रयागराज।
6. विमानपत्तन निदेशक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, बमरौली, प्रयागराज।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रयागराज।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/राजस्व अनुभाग-13.
9. समीक्षा अधिकारी (बजट)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।